

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक पं.5()उनिकृत्यो/सूअ/15/

दिनांक :19.06.2015

३३

कार्यालय-आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (वर्ष 2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-22) की धारा 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समसंख्यक आदेश क्रमांक 4989-5140 दिनांक 02.07.12 को संशोधित करते हुये निम्न प्रकार से लोक सूचना अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर एतद् द्वारा नामित किये जाते हैं :-

लोक प्राधिकरण का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी	कार्यक्षेत्र	अपील अधिकारी
आयुक्त कृषि राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त निदेशक कृषि (समन्वय), कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर	कृषि आयुक्तालय	अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर



(कुलदीप रांका)

शासन सचिव एवं आयुक्त
कृषि एवं उद्यानिकी

क्रमांक पं.5()उनिकृत्यो/सूअ/15/ 7062-70
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :19.06.2015

३३

- 1- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, राजस्थान, जयपुर
- 2- संयुक्त शासन सचिव कृषि (ग्रुप-1) विभाग, / प्रशासनिक सुधार, राजस्थान, जयपुर
- 3- अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) / (विस्तार) / (समन्वय), (अनुसंधान) राजस्थान, जयपुर
- 4- निदेशक श्याम, दुर्गापुरा, जयपुर
- 5- निदेशक समेती, दुर्गापुरा, जयपुर
- 6- समस्त खंडीय संयुक्त निदेशक कृषि
- 7- संयुक्त निदेशक कृषि, प्रशासन / पौ.सं. / गु.नि. / योजना / रसायन / आदान कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर
- 8- ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करवाने हेतु।



(कुलदीप रांका)

शासन सचिव एवं आयुक्त
कृषि एवं उद्यानिकी